"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331] रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त 2017—— श्रावण 11, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 2017 (श्रावण 11, 1939)

क्रमांक-8086/वि. स./विधान/2017 . —— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 16 सन् 2017) जो बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 2017 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 16 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) विधेयक, 2017

विषय-सूची

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 16 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) विधेयक, 2017

दुकानों एवं स्थापनाओं में नियोजित कर्मकारों के नियोजन एवं अन्य सेवा शर्तों के विनियमन से संबंधित विधियों को समेकित एवं संशोधित करने हेतु तथा उनसे संबंधित और उनके आनुषंगिक विषयों हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह दस या अधिक कर्मकारों के नियोजन वाले दुकानों और स्थापनाओं पर लागू होगा.

(4) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "मुख्य फैसिलिटेटर" से अभिप्रेत है धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त मुख्य फैसिलिटेटर ;

(ख) "दिन" से अभिप्रेत है मध्य रात्रि से प्रारंभ होने वाले चौबीस घण्टे की कालावधि;

(ग) "नियोजक" से अभिप्रेत है स्वामी या व्यक्ति, जिसका किसी दुकान या स्थापना के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण हो तथा इसमें सम्मिलित है,-

(एक) किसी फर्म या व्यक्तियों के संघ की दशा में, फर्म या संघ का कोई भागीदार या सदस्य;

(दो) किसी कम्पनी की दशा में, कम्पनी का निदेशक;

(तीन) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व या उसके द्वारा नियंत्रित किसी दुकान या स्थापना की दशा में, यथास्थिति, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसे दुकान या स्थापना के कार्यों के प्रबंधन के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों;

(घ) "स्थापना" से अभिप्रेत है कोई परिसर, जो कारखाना अथवा दुकान का परिसर नहीं है,-

(एक) जिसमें कोई व्यापार, व्यवसाय, विनिर्माण या उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक या उसके सहायक कोई कार्य या कोई पत्रकारिता या मुद्रण कार्य या बैंकिंग का व्यवसाय, बीमा, स्टॉक एवं शेयर, ब्रोकरेज या उत्पाद विनिमय का कार्य किया जाता हो; अथवा

(दो) जिसे नाट्यशाला, चलचित्र अथवा कोई अन्य सार्वजनिक आमोद प्रमोद या मनोरंजन के रूप में उपयोग किया जाता हो, जिसमें कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के उपबंध लागू नहीं होते हो;

(ङ) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(च) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा विहित;

(छ) "दुकान" से अभिप्रेत है कोई परिसर, जहां माल का या तो फुटकर या थोक, विक्रय किया जाता हो अथवा जहां ग्राहकों को सेवायें प्रदान की जाती है तथा इसमें सम्मिलित है कार्यालय, भंडारकक्ष, गोदाम, भाण्डागार या कार्यगृह या कार्यस्थल, जहां निर्मित माल के वितरण या पैकिंग या पुन:पैकिंग करने का कार्य किया जाता हो, किन्तु इसमें कारखाने से संलग्न कोई दुकान, जहां दुकान में नियोजित व्यक्तियों को, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन उपबंधित लाभ अनुज्ञात किया जाता हो, सम्मिलित नहीं है;

(ज) "मजदूरी" से अभिप्रेत है सभी पारिश्रमिक (चाहे वेतन, भत्ते या अन्य रूप में हों), जो धनराशि के अंतर्गत अभिव्यक्त हो अथवा इस प्रकार अभिव्यक्त किये जाने के योग्य हो, जो कि, यदि अभिव्यक्त या विवक्षित, नियोजन के शर्तों की पूर्ति हो गई हो, नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन या ऐसे नियोजन में किये गये कार्य के संबंध में देय होता, और इसमें सम्मिलित है,-

(एक) पक्षकारों के बीच किसी अधिनिर्णय या समझौता या किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी आदेश के अधीन संदेय कोई पारिश्रमिक;

(दो) कोई पारिश्रमिक, जिसका नियोजित व्यक्ति अधिसमय (ओवर टाईम) कार्य या अवकाश या कोई अवकाश की कालावधि के संबंध में हकदार है;

(तीन) नियोजन के निबंधनों के अधीन संदेय कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक (चाहे वह बोनस या कोई अन्य नाम से जाना जाता हो);

(चार) कोई राशि, जो नियोजित व्यक्ति के नियोजन का पर्यवसान हो जाने के कारण किसी विधि, संविदा या लिखत के अधीन संदेय है जिसमें ऐसी राशि, चाहे कटौती सहित या कटौती के बिना हो, भुगतान करने हेतु उपबंधित हो;

(पांच) कोई राशि, जिसका नियोजित व्यक्ति, तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन निर्मित किसी योजना के अन्तर्गत हकदार हो; और

(छ:) गृह भाड़ा भत्ता,

किन्तु इसमें सम्मिलित नहीं है,-

(क) कोई बोनस, जो नियोजन के निबंधनों के अधीन संदेय पारिश्रमिक का भाग नहीं है या पक्षकारों के बीच हुए किसी अधिनिर्णय या समझौता या न्यायालय के किसी आदेश के अधीन संदेय नहीं है;

(ख) किसी आवास सुविधा या रोशनी, जल, चिकित्सीय परिचर्या या अन्य सुख-सुविधा के प्रदाय या कियी ऐसी सेवा का मूल्य, जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा वेतन (मजदूरी) की संगणना से अपवर्जित है;

(ग) किसी पेंशन या भविष्य निधि में नियोजक द्वारा संदत्त कोई अभिदाय, और ब्याज जो उस पर प्रोद्भूत किया जा सकेगा;

(घ) कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य;

(ङ) किसी नियोजित व्यक्ति को विशेष व्यय चुकाने के लिए संदत्त कोई राशि, जो उसे अपने नियोजन की प्रकृति के कारण उठाने पड़े; या

(च) उप-खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट मामलों से भिन्न मामलों में नियोजन के पर्यवसित होने पर संदेय कोई उपादान;

(झ) "सप्ताह" से अभिप्रेत है शनिवार मध्य रात्रि से प्रारंभ होने वाले सात दिनों की कालावधि या ऐसी अन्य रात्रि, जैसा कि मुख्य फैसीलिटेटर द्वारा विशेष क्षेत्र के लिए लिखित में अनुमोदित किया जाये;

(ञ) "कर्मकार" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति [प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन प्रशिक्षु को छोड़कर] जिसे कोई शारीरिक श्रम, अकुशल, कुशल, तकनीकी, प्रायोगिक या लिपिकीय कार्य हेतु किराये या प्रतिफल पर नियोजित किया गया हो, चाहे नियोजन की शर्तें अभिव्यक्त हो या विवक्षित हो.

कतिपय व्यक्तियों तथा परिसरों को अधिनियम का लागू नहीं होना.

3. (1) इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,-

(क) ऐसा कर्मकार जो गोपनीय, प्रबंधकीय या पर्यवेक्षण प्रकृति के प्रास्थिति पर किसी दुकान या स्थापना में कार्यरत हो;

(ख) कोई कर्मकार जिसका कार्य स्वाभाविक रूप से अनिरंतर रहा हो;

(ग) शासन या स्थानीय प्राधिकारी के किसी कार्यालय;

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय;

(ङ) रोगी, अशक्त, निराश्रित या मानसिक रूप से अयोग्य के उपचार या परिचर्या हेतु प्रयुक्त कोई स्थापना; और

(च) किसी नियोजक के कुटुम्ब का सदस्य.

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कर्मकारों की सूची, दुकान अथवा स्थापना के वेबसाइट पर तथा वेबसाइट के अभाव में, दुकान या स्थापना के सहज दृश्य स्थान पर, प्रदर्शित की जायेगी एवं उसकी एक प्रति फैसिलिटेटर को भेजी जायेगी.

कतिपय अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का प्रभावित न होना.

4. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात, किसी अधिकार या विशेषाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, जिसका कोई कर्मकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, अवार्ड, अनुबंध, संविदा, प्रथा या प्रचलन के अधीन हकदार है.

अध्याय-दो

श्रम पहचान संख्या का पंजीयन एवं जारी करना

दुकान एवं स्थापना का पंजीयन एवं श्रम पहचान संख्या का जारी करना.

5. (1) अधिनियम के प्रारंभ होने पर, प्रत्येक दुकान एवं स्थापना, जिसमें दस या अधिक कर्मकार नियोजित हैं, ऐसे प्रारंभ होने की तिथि से अथवा तिथि, जिस पर ऐसा दुकान या स्थापना अस्तित्व में आया है, से छः माह की कालावधि के भीतर पंजीयन हेतु आवदेन करेगा एवं श्रम पहचान संख्या प्राप्त करेगा.

(2) प्रत्येक दुकान एवं स्थापना, जिसमें दस या अधिक कर्मकार नियोजित हैं, पंजीयन हेतु ऐसे प्राधिकारी को, ऐसे प्ररूप एवं रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, आवेदन प्रस्तुत करेगा.

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, उप-धारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, दुकान अथवा स्थापना का पंजीयन करेगा और ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाये, श्रम पहचान संख्या जारी करेगा.

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) अथवा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) अथवा इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों, विनियमों या योजनाओं के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत दुकानों और स्थापनाओं को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पंजीकृत माना जायेगा :

परन्तु यह कि ऐसे दुकानों एवं स्थापनाओं को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के छ: माह की कालावधि के भीतर, ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, श्रम पहचान संख्या प्राप्त करेगा.

अध्याय-तीन

नियोजक का कर्त्तव्य

महिला कर्मकारों के विरूद्ध भेदभाव पर प्रतिषेध.

6. (1) किसी महिला कर्मकार के विरूद्ध भर्ती, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति या वेतन (मजदूरी) से संबंधित मामले में, भेदभाव नहीं किया जायेगा.

(2) किसी महिला को, सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे के मध्य को छोड़कर, दुकान या स्थापना में अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह कि जहां राज्य शासन या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति का समाधान हो जाता है कि आश्रय, विश्राम गृह, रात्रि शिशु गृह, महिला प्रसाधन, उसकी गरिमा, सम्मान एवं सुरक्षा का समुचित संरक्षण, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा एवं दुकान एवं स्थापना से उनके विद्यमान निवास के द्वारा तक उनको पहुंचाने की व्यवस्था ऐसे दुकान या स्थापना में है, तो वह, अधिसूचना द्वारा, महिला कर्मकार की सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात्, ऐसी शर्तों, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, के अध्यधीन रहते हुए, रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य करने हेतु उनको अनुज्ञात कर सकेगा.

कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.

7. (1) प्रत्येक नियोजक, कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (जिसमें सफाई, प्रकाश, खिड़कियां एवं अग्नि से बचाव) से संबंधित ऐसे उपाय करेगा, जैसा कि विहित किया जाये.

(2) प्रत्येक नियोजक, ऐसे दुकान या स्थापना में नियोजित कर्मकारों के सतत एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने हेतु तथा किसी प्रकार के दुर्घटना के होने से रोकने के लिए उप-धारा (1) के अंतर्गत उपबंधित आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगा.

कार्य के घण्टे.

8. (1) किसी भी वयस्क कर्मकार से दुकान या स्थापना में सप्ताह में अड़तालीस घण्टे एवं एक दिन में नौ घण्टे से अधिक निरंतर कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा उन्हें अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रत्येक पांच घंटे के पश्चात उसे विश्राम अन्तराल, जो आधे घण्टे से कम न हो नहीं दिया गया हो :

परंतु अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य की दशा में एवं फैसिलिटेटर की पूर्व अनुमति से, कार्य के घण्टे या साप्ताहिक विश्राम को शिथिल की जा सकेगी.

(2) किसी दुकान या स्थापना में एक पाली में विश्राम अंतराल सहित कार्य के कुल घण्टों की अवधि, साढ़े दस घण्टे से अधिक नहीं होगी और यदि कर्मकार को अनिरंतर प्रकृति के कार्य या अतिआवश्यक कार्य सौंपें गये हैं, तो कार्य की कुल अवधि, बारह घण्टे से अधिक नहीं होगी.

(3) यदि एक दिन में नौ घण्टे एवं सप्ताह में अड़तालिस घण्टे से अधिक कार्य किया जाता है तो वह अधिसमय (ओवर टाईम) माना जायेगा और अधिसमय (ओवर टाईम) घण्टे की कुल संख्या, तीन माह की अवधि में एक सौ पच्चीस घण्टे से अधिक नहीं होगी.

(4) राज्य शासन,-

(क) उप-धारा (1) के अध्यधीन रहते हुए, एक या अधिक विनिर्दिष्ट अन्तरालों सहित कार्य के घण्टे, जो किसी भी दुकान या स्थापना में नियोजित कर्मकारों के लिये सामान्य कार्य दिवस होगा, निर्धारित करने;

(ख) सात दिवस की प्रत्येक कालावधि में एक विश्राम (अवकाश) दिवस की व्यवस्था, जो किसी भी दुकान या स्थापना में नियोजित सभी कर्मकारों को अनुज्ञात होगा, एवं ऐसे विश्राम (अवकाश) दिवस के संबंध में पारिश्रमिक के भुगतान की व्यवस्था,

के लिये नियम बनायेगा.

(5) उपधारा (1) एवं (2) के उपबंध, ऐसे दुकान एवं स्थापना में नियोजित कर्मकारों के निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में, केवल ऐसी सीमा एवं ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा कि विहित किया जाये, लागू होंगे, अर्थात् :-

(क) आवश्यक या अति आवश्यक कार्य में संलग्न कर्मकार, जिन्हें उस कार्य से नजर अंदाज अथवा निवारित नहीं किया जा सका हो;

(ख) प्रारंभिक या पूरक प्रकृति के कार्य में संलग्न कर्मकार, जिनके द्वारा उस कार्य को नियमों में वर्णित कार्य के सामान्य घण्टे के बाद किया जाना आवश्यक हो;

(ग) तकनीकी कारणों से किसी कार्य में संलग्न कर्मकार, जिनके द्वारा उस कार्य को उसी दिन पूर्ण करना हो;

(घ) ऐसे कार्य में संलग्न कर्मकार जो प्राकृतिक आपदा संबंधी अनियमित कार्य पर लगने वाले समय के सिवाय, नहीं किया जा सकता; और

(ङ) उच्च कुशल कर्मकार (जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, की स्थापना, बायो तकनीकी और शोध तथा विकास विभाग में कार्यरत कर्मकार).

अधिसमय (ओवर टाईम) के लिये वेतन (मजदूरी).

9. जहां किसी कर्मकार से किसी दिन नौ घण्टे अथवा सप्ताह में अड़तालीस घण्टे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, तो वह, उसे प्राप्त होने वाली सामान्य वेतन (मजदूरी) से दुगनी दर पर वेतन (मजदूरी) अथवा ऐसा उच्चतम राशि, जैसा कि विहित किया जाये, प्राप्त करने का हकदार होगा.

पाली एवं विश्राम (अवकाश) की अवधि.

10. (1) दुकान या स्थापना के एक विभाग या उस विभाग के किसी शाखा में, एक से अधिक पाली में कार्य किया जा सकेगा एवं कर्मकार को नियोजक के विवेकानुसार किसी भी पाली में कार्य करने हेतु अपेक्षित किया जा सकेगा.

(2) किसी दुकान अथवा स्थापना में सप्ताह में सभी दिनों में इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कार्य किया जा सकेगा कि विश्राम हेतु प्रत्येक कर्मकार को लगातार कम से कम चौबीस घण्टे की साप्ताहिक छुट्टी अनुज्ञात किया जाये.

(3) यदि कोई कर्मकार साप्ताहिक छुट्टी लेने से इंकार करता है तो उसके बदले में उसे, ऐसी साप्ताहिक छुट्टी के दो माह के भीतर, प्रतिकारात्मक अवकाश दिया जायेगा.

(4) ऐसी पालियों में कार्यरत सभी श्रेणी के कर्मकारों के एक सप्ताह में किये गये कार्य की कालावधि तथा घंटों की जानकारी, सभी कर्मकारों को लिखित में दी जायेगी एवं उसे फैसिलिटेटर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा भेजी जायेगी.

(5) जहां किसी कर्मकार से विश्राम के दिन में भी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है तो वह, उसके सामान्य वेतन (मजदूरी) के दर से दुगुनी दर पर वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा.

अध्याय-चार
अवकाश तथा छुट्टी

वार्षिक, आकस्मिक एवं रूग्ण अवकाश एवं अन्य छुट्टियां.

11. (1) प्रत्येक कर्मकार को वेतन (मजदूरी) साप्ताहिक छुट्टी दिया जायेगा :

पन्तु राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, क्षेत्र के पृथक-पृथक श्रेणी के दुकानों और स्थापनाओं के लिए पृथक-पृथक दिनों को साप्ताहिक छुट्टी के रूप में नियत कर सकेगा.

(2) प्रत्येक कर्मकार को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में वेतन (मजदूरी) सहित आठ दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी जो कर्मकार के खाते में त्रैमासिक आधार पर जमा होगी.

(3) प्रत्येक कर्मकार जिसने किसी दुकान या स्थापना में दो सौ चालीस दिन या अधिक की कालावधि तक एक कलैण्डर वर्ष में कार्य किया है, तो पूर्व कैलेण्डर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किये गये कार्य के प्रत्येक बीस दिनों के लिये एक दिन की दर से संगणित दिनों की संख्या के लिये वेतन (मजदूरी) सहित अवकाश, पश्चात्वर्ती कैलेण्डर के दौरान अनुज्ञात की जायेगी.

(4) प्रत्येक कर्मकार को अधिकतम पैंतालीस दिन तक के अर्जित अवकाश संग्रहित करने हेतु अनुमति होगी.

(5) जहां नियोजक पन्द्रह दिन पूर्व आवेदन दिये जाने पर भी अवकाश स्वीकृत करने से इंकार करता है तो कर्मकार को, पैंतालीस दिन से अधिक के अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने का अधिकार होगा :

परंतु यदि कोई कर्मकार इस धारा के अंतर्गत अवकाश की पात्रता रखता है, उसे अवकाश स्वीकृत करने के पूर्व उसके नियोजक द्वारा मुक्त कर दिया जाता है अथवा यदि उसने अवकाश हेतु आवेदन कर दिया है एवं उस अवकाश को देने से इंकार कर दिया गया है , वह सेवानिवृत होने, त्यागपत्र, मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के कारण अपने नियोजन से पृथक हो जाता है, तो नियोजक, उसे देय अवकाश की कालावधि के लिये पूर्णत: वेतन (मजदूरी) संदाय करेगा.

(6) कोई भी कर्मकार, एक कैलेण्डर वर्ष में आठ त्यौहारी छुट्टियों के भुगतान का अर्थात् स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गांधी जयंती तथा ऐसी अन्य पांच त्यौहारी छुट्टियां जिन्हें वर्ष के प्रारंभ होने के पहले नियोजक एवं कर्मकारों के मध्य सहमति हो, हकदार होगा.

(7) उप-धारा (3) के प्रयोजनों के लिये,-

(क) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेश के अंतर्गत समझौता अथवा संविदा या अनुमति द्वारा किसी दिन का ले-ऑफ;

(ख) महिला कर्मकारों के मामले में, मातृत्व हित लाभ अधिनियम, 1961 (1961 का 53) के प्रावधानों के अधीन मातृत्व अवकाश;

(ग) उस वर्ष के पूर्व में अर्जित अवकाश, जिसमें अवकाश का उपभोग किया गया है;

(घ) उसके नियोजन के दौरान हुये दुर्घटना से कारित अस्थायी नि:शक्तता के कारण कर्मकार की अनुपस्थिति,

को ऐसा दिन समझा जायेगा जिस पर कर्मकार ने दुकान या स्थापना में दो सौ चालीस दिवस या उससे अधिक की कालावधि की गणना के प्रयोजन के लिये कार्य किया है, किन्तु इन दिनों के लिये अवकाश प्राप्त नहीं होगी.

(8) उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञेय अवकाश, सभी छुट्टियों (अवकाश) के अनन्य होंगे चाहे वे अवकाश की कालावधि के दौरान घटित हो या इसके अंत में हो.

अध्याय-पांच

कल्याणकारी उपबंध

पीने का पानी. 12. प्रत्येक नियोजक, उचित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्यप्रद पेयजल की व्यवस्था एवं रख-रखाव करेगा जो दुकान या स्थापना में नियोजित समस्त कर्मचारियों के लिए सुविधानुसार अवस्थित हो.

शौचालय एवं प्रसाधन. 13. प्रत्येक नियोजक यथा विहित पुरूष एवं महिलाओं के लिए पर्याप्त रूप से शौचालय एवं प्रसाधन सुविधा उपलब्ध करायेगा, जो दुकान या स्थापना में नियोजित कर्मकारों के लिए सुगमता से पहुंचनीय स्थान पर अवस्थित होगा :

परन्तु, विभिन्न नियोजक सामान्य सुविधायें उपलब्ध करा सकेंगे यदि किसी दुकान अथवा स्थापना में स्थान या अन्यथा कमी के कारण संभव न हो.

झूलाघर की सुविधायें. 14. प्रत्येक दुकान या स्थापना में जहां तीस या उससे अधिक महिला कर्मकार नियोजित हैं अथवा पचास या उससे अधिक कर्मकार सामान्यत: नियोजित है तो नियोजक, ऐसे समुचित कक्ष या कक्षों की व्यवस्था एवं रख-रखाव करेगा जिसमें ऐसे महिला कर्मकारों के बच्चों के उपयोग के लिये झूलाघर हो :

परन्तु, यदि दुकान एवं स्थापना के समूह, एक किलोमीटर की परिधि के भीतर सामान्य झूलाघर प्रदान करने का निर्णय लेता है, तो उसकी अनुमति, आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, के अध्यधीन रहते हुए मुख्य फैसिलिटेटर द्वारा दी जाएगी.

प्राथमिक उपचार. 15. प्रत्येक नियोजक, कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसा कि विहित किया जाए.

केन्टीन. 16. राज्य शासन, ऐसे दुकानों एवं स्थापनाओं में, जहां नियोजित कर्मकारों अथवा सामान्य तौर पर कर्मकारों की संख्या एक सौ से कम नहीं है, उन कर्मकारों के उपयोग के लिये केन्टीन की व्यवस्था करने एवं रख-रखाव करने की नियोजक से अपेक्षा करेगा :

परन्तु यदि दुकानों एवं स्थापनाओं का समूह, सामान्य केन्टीन व्यवस्था करने का निर्णय लेता है तो उसकी अनुमति मुख्य फैसिलिटेटर द्वारा, आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, के अध्यधीन रहते हुए दी जाएगी.

अध्याय-छ:
फैसिलिटेटर और उनकी शक्तियां एवं कार्य

मुख्य फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर की नियुक्ति एवं उनकी शक्तियां.

17. (1) राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा जो इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिये फैसिलिटेटर होने के लिये विहित अर्हता रखते हों एवं उन्हें ऐसे स्थानीय सीमा के भीतर कार्यभार सौंपा जा सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे :

पन्तु यह कि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा मुख्य फैसिलिटेटर की नियुक्ति कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त पूरे राज्य में फैसिलिटेटर की शक्तियों का प्रयोग करेगा.

(2) राज्य शासन, दुकानों अथवा स्थापनाओं के निरीक्षण हेतु एक योजना विहित करेगा जो एक वेब आधारित निरीक्षण शेड्यूल उपलब्ध करायेगा.

(3) प्रत्येक फैसिलिटेटर एवं मुख्य फैसिलिटेटर जो उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये हैं, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जायेंगे एवं ऐसे प्राधिकारी, जैसा कि राज्य शासन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, के पदीय तौर पर अधीनस्थ होंगे.

(4) ऐसी शर्तों , जैसा कि विहित किया जाये, के अध्यधीन रहते हुए फैसिलिटेटर, स्थानीय सीमाओं जिसके लिए वह नियुक्त है, के भीतर,-

(एक) नियोजकों एवं कर्मकारों को सलाह दे सकेगा एवं उन्हें ऐसी जानकारी जैसा कि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी अनुपालन के लिये आवश्यक समझता हो, उपलब्ध करा सकेगा;

(दो) उप-धारा (2) के अधीन निर्दिष्ट निरीक्षण हेतु योजनाओं के अनुसार दुकान या स्थापना का निरीक्षण कर सकेगा एवं,-

(क) कोई व्यक्ति जो दुकान या स्थापना के किसी परिसर में पाया जाता है और उसके लिए पास विश्वास करने का कारण है कि दुकान या स्थापना का कर्मकार है, परीक्षण कर सकेगा;

(ख) किसी व्यक्ति से जो उसके अधिकार क्षेत्र में है व्यक्तियों के नाम और पते के संबंध में कोई जानकारी देने हेतु अपेक्षा कर सकेगा;

(ग) ऐसे पंजी, वेतन के दस्तावेज या नोटिस या उसके किसी भाग, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में जो कि फैसिलिटेटर सुसंगत मांगता है, तथा फैसिलिटेटर के पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि नियोक्ता द्वारा अपराध किया गया है, की तलाशी, जब्ती या प्रतिलिपि ले सकेगा;

(घ) त्रुटि एवं दोष जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि सम्मत न हो, राज्य शासन की जानकारी में ला सकेगा; और

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, जैसा कि विहित किया जाये :

परंतु यह कि किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन किसी प्रश्न का उत्तर देने अथवा स्वयं को दोषी ठहराने हेतु कोई साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा.

(5) उप-धारा (4) के अधीन फैसिलिटेटर द्वारा अपेक्षित कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 175 एवं धारा 176 के अर्थ के भीतर ऐसा करने के लिए विधिक रूप से बाध्य समझा जायेगा.

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, जहां तक हो सके, उप-धारा 4 के खण्ड (दो) के उप-खण्ड (ग) के अधीन तालाशी एवं जब्ती के लिए लागू होंगे, जैसे कि वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अंतर्गत तलाशी या जब्ती के लिए लागू होते है.

अध्याय-सात
अभिलेख तथा विवरणियां

पंजी एवं अभिलेख का संधारण.

18. (1) प्रत्येक नियोजक, ऐसी पंजियां एवं अभिलेख संधारित करेगा जैसा कि विहित किया जाये.

(2) अभिलेखों का संधारण इलेक्ट्रानिक रूप से अथवा हस्तलिपि में किया जा सकेगा :

परंतु फैसीलिटेटर द्वारा निरीक्षण के दौरान, यदि ऐसे अभिलेख की हार्ड प्रति की मांग की जाती है, तो उसकी सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रति नियोजक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा.

वार्षिक विवरणी.

19. दुकान या स्थापना का प्रत्येक नियोजक, ऐसे प्ररूप तथा रीति में (इलेक्ट्रानिक प्ररूप सहित), ऐसे प्राधिकारी को, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जैसा कि विहित किया जाये.

अध्याय-आठ
अपराध तथा शास्तियां

इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति.

20. (1) जो कोई, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा और निरंतर उल्लंघन की दशा में, प्रत्येक दिन, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, के लिए अतिरिक्त जुर्माने , जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा.

परंतु जुर्माने की कुल राशि, नियोजित प्रति कर्मकार दो हजार रुपये से अधिक नहीं होगी.

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उप-धारा (1) के अंतर्गत दण्डनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, पुन: उसी प्रावधान के उल्लंघन अंतर्वलित अपराध का, या उसके अनुपालन में विफलता का, दोषी पाया जाता है, तो उसे, पश्चातवर्ती दोषसिद्धी पर जुर्माने, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा.

इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन, जिसके परिणाम स्वरूप घटना हुई है, के लिए शास्ति.

21. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जहां कोई नियोजक, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के किन्हीं प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना में कर्मकार को गंभीर शारीरिक क्षति हुई है, अथवा उसकी मृत्यु हुई है, तो वह कारावास से, जो छ: माह तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा.

पंजी, आदि उपलब्ध कराने हेतु अवरोध, इंकार हेतु शास्ति.

22. (1) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करने से, फैसिलिटेटर को जानबूझकर बाधा पहुंचाता है या इंकार करता है अथवा फैसिलिटेटर को दुकान या स्थापना के संबंध में इस अधिनियम अधीन या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई निरीक्षण, परीक्षण, जांच एवं अन्वेषण करने के लिए कोई भी युक्तियुक्त सुविधा उपलब्ध कराने से जानबूझकर उपेक्षा करता है, तो वह जुर्माने, जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा.

(2) जो कोई, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में रखे गये कोई पंजी या अन्य दस्तावेज, फैसिलिटेटर द्वारा मांगे जाने पर, प्रस्तुत करने से जानबूझकर इंकार करता है अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत उसके कर्तव्य के अनुसरण में कार्यवाही हेतु फैसिलिटेटर के समक्ष उपस्थित होने से या उसके द्वारा परीक्षा किये जाने से, किसी व्यक्ति को रोकता है या रोकने का प्रयास करता हो या यह विश्वास करने का कारण है कि रोकने हेतु कुछ भी कार्य करता है, तो उसे जुर्माने, जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा :

परंतु जुर्माने की कुल राशि, नियोजित प्रति कर्मकार दो हजार रुपये से अधिक नहीं होगी.

अपराध का संज्ञान.

23. (1) कोई न्यायालय, इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि उसके संबंध में कोई परिवाद, फैसिलिटेटर द्वारा ऐसी तारीख, जिस पर कथित अपराध, फैसिलिटेटर की जानकारी में आता है, के तीन माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है :

परंतु जहां फैसिलिटेटर द्वारा, अवज्ञा अंतर्विष्ट अपराध हेतु, लिखित आदेश दिया जाता है, तो उसका परिवाद, ऐसी तारीख, जिस पर अपराध किया जाना कथित है, के छ: माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा.

(2) प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत दण्डनीय किसी अपराध का विचारण करेगा.

अपराधों का प्रशमन.

24. (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय कोई अपराध, जो मात्र करावास से या करावास और जुर्माने से भी दण्डनीय अपराध नहीं है, अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर, या तो अभियोजन संस्थित होने के पूर्व या पश्चात् हो, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा, जैसा कि राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, ऐसी रीति के अपराध, जो कि विहित किया जाये, के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत की राशि के लिए, विनिर्दिष्ट करे.

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट बात,-

(क) उसी प्रकार का अपराध, जिसका पूर्व में प्रशमन किया गया हो, के कारित करने की;

(ख) उसी प्रकार का अपराध, जिसके लिए व्यक्ति, पूर्व में दोषसिद्ध ठहराया गया हो, के कारित करने की,

तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर दूसरी बार या तत्पश्चात् के लिए व्यक्ति द्वारा कारित अपराध पर लागू नहीं होगा.

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, राज्य शासन के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए, किसी भी अपराध के प्रशमन करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा.

(4) अपराध के प्रशमन के लिए प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप एवं रीति में किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाये.

(5) जहां किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व, के प्रशमन हो गया हो, वहां उस अपराध के संबंध में, अपराधी, जिसके अपराध का इस प्रकार प्रशमन हो गया है, के विरूद्ध कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा.

(6) जहां किसी अपराध का प्रशमन, अभियोजन संस्थित करने के पश्चात् किया जाता है, वहां ऐसा प्रशमन, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा, लिखित में न्यायालय, जिसमें अभियोजन लंबित है, के संज्ञान में लाया जायेगा तथा अपराध के प्रशमन की ऐसी सूचना पर, व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अपराध का इस प्रकार प्रशमन किया गया है, को निर्मुक्त किया जायेगा.

(7) कोई व्यक्ति, जो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश को पालन करने में विफल रहता है, वह, ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त, अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के बराबर राशि भुगतान करने हेतु दायी होगा.

(8) इस धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं उसके अनुसरण के सिवाय, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन नहीं किया जायेगा.

अध्याय-नौ
विविध

सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.

25. इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित किसी नियम के अनुपालन में सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी कार्य करने के लिए, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा के कोई लोक सेवक या कोई अन्य व्यक्ति, जो किसी ऐसे लोक सेवक के निर्देश के अधीन कार्य करता है, के विरूद्ध कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होगी.

छूट देने की शक्ति.

26. राज्य शासन अथवा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अधिकारी, अधिसूचना द्वारा, किसी दुकान या स्थापना या उसके किसी वर्ग या कोई नियोजक या कर्मचारी या नियोजकों या कर्मचारियों के किसी वर्ग, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, को ऐसे निबंधन एवं शर्तों, जैसा कि वह उचित समझे, ऐसी कालावधि, जैसा कि आवश्यक समझे, के लिए इस अधिनियम के समस्त या किसी प्रावधानों से छूट दे सकेगा.

अन्य विधियों के लागू होने पर रोक नहीं.

27. इस अधिनियम के प्रावधान, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, उनके अल्पीकरण में नहीं.

नियम बनाने की शक्ति.

28. (1) राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगा.

(2) विशेषत: एवं पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए ऐसा नियम उपबंधित किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) प्राधिकारी जिसको, एवं प्ररूप और रीति जिसमें, धारा (5) की उप-धारा (2) के अंतर्गत आवेदन किया जायेगा, उप-धारा (3) के अंतर्गत श्रम पहचान संख्या का प्ररूप तथा उप-धारा (4) के अंतर्गत श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने की रीति;

(ख) धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (सफाई, प्रकाश, रोशनदान, अग्नि की रोकथाम) के संबंध में नियोजक द्वारा की जाने वाली उपाय;

(ग) धारा 8 की उप-धारा (4) के अंतर्गत नियमों द्वारा उपबंधित विषय;

(घ) शर्तें जिसके अध्यधीन धारा 8 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (2) के प्रावधान, उस धारा की उप-धारा (5) के अंतर्गत कर्मकारों की कतिपय श्रेणियों को लागू होगी;

(ङ) धारा 9 के अंतर्गत उपबंधित उच्च वेतन (मजदूरी) की दर;

(च) धारा 13 के अंतर्गत उपबंधित पर्याप्त शौचालय एवं प्रसाधन की व्यवस्था तथा धारा 15 के अंतर्गत उपबंधित प्रथमोपचार की सुविधा की व्यवस्था;

(छ) धारा 17 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उपबंधित फैसिलिटेटर की योग्यता, शर्तें जिसके अध्यधीन फैसिलिटेटर उप-धारा (4) के अंतर्गत उपबंधित अपनी शक्तियों का तथा उप-धारा 4 के खण्ड (दो) के उप-खण्ड (ङ) के अंतर्गत उपबंधित उसके द्वारा प्रयोग किये जाने योग्य अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ज) धारा 18 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उपबंधित नियोजक द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली पंजियों एवं अभिलेखों के लिए;

(झ) धारा 19 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप एवं रीति (जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप सम्मिलित है), तथा ऐसे विवरणी को प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा;

(ञ) धारा 24 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत उपबंधित अपराधों के प्रशमन की रीति, तथा उप-धारा (4) के अंतर्गत ऐसे प्रशमन के लिए आवेदन करने का प्ररूप एवं रीति;

(ट) कोई अन्य विषय जो कि विहित किया जाना अपेक्षित हो या विहित किया जाये.

(3) उप-धारा (1) एवं (2) के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा.

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

29. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य शासन, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान बना सकेगा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, और जैसा कि उसे कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हो :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् इस धारा के अन्तर्गत कोई आदेश नहीं किया जायेगा.

(2) इस धारा के अंतर्गत किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाये जाने के पश्चात्, यथा शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा.

निरसन एवं व्यावृत्ति.

30. (1) छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्र. 25 सन् 1958) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, जहां तक ऐसा कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

(3) इस धारा के अंतर्गत विशेष विषय का वर्णन साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (क्र. 10 सन् 1897) की धारा 6 की सामान्य प्रयोज्यता को प्रतिकुलित या प्रभावित नहीं करेगा.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, राज्य में प्रतिस्पर्धा एवं चुनौती की भावना सृजित करने के क्रम में, ऐसे वातावरण, जो प्रत्येक स्तर पर, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम, शहरों में, वृहद् पैमाने पर रोजगार सृजन के अनुकूल है, निर्मित करने हेतु, पर्याप्त सुरक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था के साथ महिलाओं के लिये रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार प्रणाली के प्रावधानों के साथ समन्वय का प्रावधान करने हेतु, दुकानों एवं स्थापनाओं में नियोजित कर्मकारों के नियोजन और अन्य सेवा शर्तों के विनियमन से संबंधित विधियों को समेकित एवं संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की गई है;

और यत:, राज्य के 10 से अधिक कर्मकारों के नियोजन वाले दुकानों एवं स्थापनाओं के कर्मचारियों के लिये सामाजिक सुरक्षा के उपायों को विस्तारित करने हेतु, जो कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्र. 25 सन् 1958) सम्मिलित नहीं था;

अतएव, उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्र. 25 सन् 1958) को निरसित करना तथा दुकान एवं स्थापना में नियोजित कर्मकारों के नियोजन एवं सेवा शर्तों के विनियमन से संबंधित विधियों को संशोधित एवं समेकित करना आवश्यक हो गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 29 जुलाई, 2017

भईयालाल राजवाड़े
श्रम मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) विधेयक, 2017 के खण्ड 28 में राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों को प्रत्यायोजन की शक्ति प्रदान की गई है, वह सामान्य स्वरूप की है. खण्ड 28 का विवरण निम्नानुसार है -

खण्ड 28 (1) नियम बनाने की शक्ति.

राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगा.

(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.